क्रम-सं०-107

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 मार्च, 2010

फाल्गुन 28, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 402/79-वि-1-10-1(क)-13-2010

लखनऊ, 19 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 18 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में उपधारा (3) में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जाएंगे, अर्थात :-

"(ग) सकल राज्य घरेलू उत्पादन के ऐसे प्रतिशत के स्तर तक और ऐसी अवधि में राजकोषीय घाटे को कम करना जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी रीति से, जो उस खण्ड में दिए गए लक्ष्य से संगत हो, सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को कम करना।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अधिनियमन राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) और (घ) में प्रावधान है कि राज्य सरकार 1 अप्रैल, 2004 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक तक राजकोषीय घाटे में कमी करेगी और ऊपर दिये गये लक्ष्य और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करेगी।

किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा उक्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिये गये शुद्ध उधार का द्योतक है, जिसका प्रयोग पूंजीगत व्यय और विकास व्यय के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। राजकोषीय घाटे का नियंत्रण पूंजीगत और विकास सम्बन्धी व्यय को सूचित करता है। हाल के वर्षों में सामान्य आर्थिक मंदी विद्यमान रही है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती रही। इससे न केवल करों की उत्प्लावकता प्रभावित हुई है बल्कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा और अधिक निधि का निवेश आवश्यक हो गया है।

अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त खण्डों (ग) और (घ) को संशोधित करके क्रमशः सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर राजकोषीय घाटे में कमी करने और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी करने की व्यवस्था की जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 402(2)/LXXIX-V-1-10-1(Ka)13-2010

Dated Lucknow, March 19, 2010

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to be the Governor on March 18, 2010.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2010

(U.P ACT NO. 15 OF 2010)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004

IT IS HERBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004, in sub-section (3) *for* clauses (c) and (d), the following clauses shall be *substituted*, namely :-

"*(c)* reduce fiscal deficit to such level as percentage of Gross State Domestic Product and in such period as may be prescribed by the State Government.

(d) reduce fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product in each of the financial years referred to in clause (c) in a manner consistent with the goal set out in that clause."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and physical infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal polity and prudent debt management through limits on State Government borrowings, Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.

Clauses *(c)* and *(d)* of sub-section (3) of section 4, of the said Act, provide that the State Government shall reduce fiscal deficit to not more than three per cent of the estimated Gross State Domestic Product within the period commencing on1st day of April 2004 and ending with the 31st day of March, 2009, and reduce fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product in each of the financial years and the goal referred to above.

Fiscal deficit of the Government in a year, represents the net borrowing by the Government during the year which is used to fund capital expenditure and development expenditure and controlling fiscal

deficit implies reducing capital and development expenditure. In the recent years, there has been a general economic slowdown affecting all sectors of economy. This has not only affected the buoyancy of taxes but also has necessitated infusion of more funds by the Government into various sectors of the economy to provide impetus to economic growth.

It has, therefore, been decided to amend the said clauses *(c)* and *(d)* to provide respectively for reducing fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product and in such period as may be prescribed by the State Government, and for reducing fiscal deficit as percentage of Gross State Domestic Product in each of the financial years as may be prescribed under clause *(c)*.

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 1220 राजपत्र (हि०)--2010--(2600)--597 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 242 सा0 विधा0--2010--(2601)--850 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।